Entry-(3)

(105)

समक्ष ....अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्र. 20

निग. / 3771-PBR-15

शिवनारायण आ0 श्री ~~लक्ष्मी नारायण~~ रामदयाल
आयु लगभग 58 वर्ष
निवासी- ग्राम आंमला, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म.प्र.

आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मैसर्स दीपक रीयलटर्स प्रा.लि.
द्वारा एम.डी. दीपक कुमार कपूर आयु वयस्क
आ0 स्व0 के.सी. कपूर
निवासी--ई--1 / 84, अरेरा कालोनी,
भोपाल म.प्र.

अनावेदक

निगरानी पत्र अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म.प्र भूराजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण क्र. 19 / अ--12 / 2014--15 पक्षकार मैसर्स दीपक रीयलटर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा एम.डी. श्री दीपक कुमार विरूद्ध सर्वसाधारण में पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारो पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है।

निगरानी के तथ्य

1. संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि मैसर्स दीपक रीयलटर्स प्रा.लि. द्वारा एम.डी. दीपक कपूर ने अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 94 / 14 73 / 2 / 2 ख एवं खसरा. नं 73 / 2 / 3 73 / 2 / 5, 73 / 2 / 4 कुल रकबा 13.85 एकड़ स्थित ग्राम आंमला पटवारी हल्का नं. 44 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन [illegible] दिनांक [illegible].05.2015 को राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल--4, फन्दा, तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा हल्का पटवारी नं. 44 के पटवारी श्री अर्जुन सिंह को दिनांक 20.05.2015 की तारीख में सूचना पत्र जारी कर सीमांकन किये जाने बाबत् निर्देश दिया गया।

यह कि हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन दिनांक 25.05.2015 का [illegible] मौके पर जाकर 21.05.2015 की तारीख का मेड़ पड़ौसी कृषकों की [illegible] सूचना पत्र तैयार किया गया, सूचना पत्र जो कि स्पष्टतः के लिये [illegible] पर एक ही स्थान [illegible] सीमांकन टीम के द्वारा हस्ताक्षर किये गये [illegible] सूचना पत्र पर किस व्यक्ति [illegible] किस निवास पर, किस तारीख को सूचना पत्र तामील कराया गया, कोई टीप नहीं [illegible] है सूचना पत्र की तामीली किस व्यक्ति के द्वारा कराई गई [illegible] तामीली करायी गई है उस व्यक्ति के नाम [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3771-PBR/15 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-06-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	